राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कमलेश बनाम बृजपाल

तारीख हुक्म	491/2022, 492/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश की। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 23/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
23/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 491/2022 एवं 492/2022 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित को ही उनकी बहस माना जाकर दोनों अपीलो का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। रेस्पो. ने भी अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर दोंनो अपीलो का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/02/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/03/2017 पारित करते हुये तहसीलदार चाकसू को विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1204/1, 1205/1, 1206, 1207/1, 1218/1, 1219/1 कुल किता 6 रकबा 0.71 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जयसिंहपूरा का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25/04/2022 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/03/2017 के विरुद्ध अपील संख्या 492/2022 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25/04/2022 के विरुद्ध अपील संख्या 491/2022 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर दोनों अपीलों का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों द्वारा इकजाई रूप से लिखित बहस पेश की गयी है। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	491/2022, 492/2022 **कमलेश बनाम बृजपाल** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावलीयां मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है। विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/03/2017 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25/04/2022 यथावत रखे जाते है एवं अपील संख्या क्रमश: 491/2022 व 492/2022 ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर